

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि.अ./ए-1560/2024/5

दिनांक : 7-1-2025

-: आदेश :-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली की अभिशंभानुसार डॉ.अरविन्द चौधरी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारडा ब्लॉक रोहट को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करते हुए, कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खारची, पाली की आहरण एवं वितरण अधिकारी की शक्तियों सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 3 (क) के अन्तर्गत अस्थायी तौर पर अग्रिम आदेशों तक एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

**निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।**

क्रमांक : ई/चि.अ./ए-1560 /2024 /

दिनांक :

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को उनके पत्र क्रमांक 9693-94 दिनांक 06.12.2024 के क्रम में
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, एटीसी (राजपत्रित), मुख्यालय।
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी खारची, पाली।
7. डॉ.अरविन्द चौधरी चिकित्सा अधिकारी, को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश / निजी पत्रावली।

**निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।**

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date :02-01-2025 04:34:39